न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 03/2020

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर

........प्रार्थी

बनाम

ख्वाजा दरबार गैस सर्विस, लाखन कोटडी, दरगाह बाजार, अजमेर जरिये श्री अब्दुल रहीम पुत्र श्री नबी मोहम्मद (स्वयं प्रोपराईटर), निवासीः लाखन कोटडी, दरगाह बाजार, अजमेर।

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थितः– श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 03.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.12.2019 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यवसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से गैस रिफलिंग को रोकने के अभियान के तहत प्रार्थी मय संयुक्त जांच दल द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक स्थल की जांच करने पर अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग करते पाये जाने पर मौके से 01 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.-GAS	TYPE
1	अप्रमाणित गैस सिलेण्डर	-	-	-	-	-

को कब्जेराज लिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। चूंकि घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग एल.पी.जी. (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त 01 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर चन्द्रयान गैस सर्विस, अजमेर के कार्मिक श्री अयूब खान पुत्र श्री कयूम खान, निवासीः फकीरखेडा, किशनपुरा रोड, अजमेर को सुपुर्दगी में दिये गये। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा 01 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.12.2019 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिया गया 01 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

हमनें पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। उनके द्वारा जरिये जवाब भी प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन नहीं किया गया है। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिया गया 01 अप्रमाणित गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner